

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / अकादमिक / अ0म0 / 2025 / 482/19

रीवा, दिनांक 18/02/25

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत विज्ञान संकाय अन्तर्गत भू-गर्भविज्ञान के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी :-

भू-गर्भविज्ञान अध्ययन मण्डल

अधिनियम 28(2) एक

1. रिक्त

28(2) दो

1. डॉ. रमेश श्रीवास्तव
विभागाध्यक्ष, भू-गर्भविज्ञान विभाग,
शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
2. डॉ. रवीन्द्रनाथ तिवारी
शास. आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

28(2) तीन

1. रिक्त

28(2) चार

1. डॉ. भारतेन्दु मिश्रा
विभागाध्यक्ष, भू-गर्भविज्ञान विभाग,
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महाविद्यालय जवा, जिला रीवा (म.प्र.)
2. डॉ. अवधेश सोनी
विभागाध्यक्ष, भू-गर्भविज्ञान विभाग,
शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)

28(2) पाँच

1. डॉ. अरुण त्रिपाठी
प्राचार्य
श्रीयुत महाविद्यालय, गंगेव, जिला रीवा (म.प्र.)
2. डॉ. बद्री प्रसाद मिश्रा
सहायक प्राध्यापक भू-गर्भविज्ञान विभाग
ईश्वर चन्द्र विद्यासागर महाविद्यालय, जवा, जिला रीवा (म.प्र.)

अधिनियम 28 (3) के अन्तर्गत डॉ. रमेश श्रीवास्तव को भू-गर्भविज्ञान अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।


कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म0प्र0)
2. आयुक्त, उच्चशिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म0प्र0)
8. कुलगुरु जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)